न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 85/2012 (24/2009)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1. चांद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी खींवसर (वाहन मालिक) 2. बशीर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी खींवसर (वाहन चालक) 3. निम्बाराम पुत्र रेंवतराम माली निवासी खींवसर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल।
2. अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से वकील श्री ठाकुर प्रसाद राठी एवं अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री धर्माराम खुड़खुडिया।

निर्णय **दिनांक** – 05-12-2019

1–प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 30 घरेलू रसोई गैस सिलण्डरों को मय गैस एवं एक पिक न. आर.जे. 21 जी. ए. 1499 को समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान हेतु दिनांक 19.02.2009 को प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण संख्या 24/2009 राज. सरकार बनाम चांद मोहम्मद वगैराह दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तत्पश्चात् बाद सुनवाई प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2010 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 29.06.2010 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा निम्नानुसार तीन फौजदारी अपील माननीय जिला एंव सेशन न्यायालय मेडता में प्रस्तुत की गई–

1. फौजदारी अपील संख्या 34/10 चांद मोहम्मद वगैराह बनाम राज. राज्य
2. फौजदारी अपील संख्या 38/10 जेठमल बनाम राज. राज्य
3. फौजदारी अपील संख्या 39/10 निम्बाराम बनाम राज. राज्य

उक्त तीनों अपीलों का संयुक्त रूप से माननीय जिला एंव सेशन न्यायाधीश मेडता ने दिनांक 8.6.11 को निर्णय पारित कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड कर मामले में विधि अनुसार सुनवाई कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिस पर प्रकरण पुनः रसद मामला संख्या–85/2012 पर दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में साक्ष्य प्रार्थी में धर्मेन्द्र पुत्र छोटुराम प्रतिनिधि मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर, महेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह निवासी पारासरा, कंवराराम पुत्र नारायणराम हाल प्रर्वतन अधिकारी नागौर के शपथ पत्र पेश किये। साक्ष्य अप्रार्थी पेश करने हेतु वकील अप्रार्थीगण को पर्याप्त समय देने के बाद भी साक्ष्य अप्रार्थी प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थी की साक्ष्य दिनांक 30.09.2019 को बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण मे पक्षकारान की ओर से बहस अंतिम सुनी गई।

2–प्रार्थी की ओर से प्रर्वतन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामजीवन बेनीवाल ने बहस में कथन किया कि घरेलू रसोई गैस के दुरूपयोग की रोकथाम बाबत नागौर क्षेत्र में की गई कार्यवाही के दौरान दिनांक 18.02.09 को कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक, नागौर को मुखबिर से 3.00 पी.एम. सूचना मिली की नागौर से एक पिक अप वाहन आर.जे. 21 जी.ए. 1499 से अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर नागौर से खींवसर ले जाये जायेगें। अतः 4.00 पी.एम. पर चिमरानी फांटा राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 65 पर नाकाबंदी की गई। 5.30 पी.एम. पर नागौर की तरफ से एक पिक अप वाहन रंग सफेद नं. आर.जे. 21 जी.ए. 1499 आती हुई दिखाई दी जिसे हाथ का इशारा देकर रूकवाया गया। वक्त जांच पिक अप वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो अपना नाम बशीर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद बताया। चालक से वाहन का परीक्षण कराने के लिए कहा गया। वाहन के निरीक्षण में पिक अप की ट्रोली में उपर लौहे के दो बक्शें एंव लौहे का समान रखा हुआ पाया गया। इसके नीचे घरेलू रसोई गैस कम्पनी एच.पी. के 29 व एक बिना मार्क के भरे हुए सिलेण्डर पाये गये।

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

2(1)–पिक अप वाहन चालक बशीर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद से वाहन के कागज मांगे गये जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के अनुसार वाहन का रजिस्ट्रेशन नं. आर.जे. 21 जी.ए. 1499 वाहन के विवरण में Maxx Pick Up V 119 MDI TC 2WD EURO- II खरीददार का नाम चांद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी खींवसर नागौर दर्ज पाया। पिक अप का निर्माण वर्ष 2006 पाया गया।

2(2)–पिक अप गाडी में कुल चार व्यक्ति बैठे हुए थे जिनमें वाहन चालक बशीर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद से इन घरेलू गैस सिलेण्डरों के परिवहन के बारे मे पूछताछ की गई एंव लाईसेंस/परमिट के बारे में पूछा गया। वाहन चालक के पास गैस सिलेण्डर परिवहन का कोई लाईसेंस या परमिट नहीं पाया गया तथा वाहन चालक ने बताया कि वह किराये से इन सिलेण्डरों को ले जा रहा है। इन सिलेण्डरो का मालिक निम्बाराम माली खींवसर है। वाहन चालक ने बताया कि यह सिलेण्डर गहलोत गैस के गोदाम से भरे गये है तथा इसे खींवसर निम्बाराम माली के यहां ले जा रहा हूँ। वाहन चालक के पास इन गैस सिलेण्डरो के संबंधित कोई गैस उपभोक्ता डायरी या गैस एजेन्सी का वाउचर नहीं पाया गया। पिक अप में अन्य तीन व्यक्ति पीराराम पुत्र कासीराम कुम्हार निवासी खींवसर, कोजाराम पुत्र चन्दणाराम निवासी खींवसर एंव निम्बाराम पुत्र रेवन्तराम माली खींवसर बैठे हुए थे इन तीनों से गैस सिलेण्डरों के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होने बताया कि हमें इन गैस सिलेण्डरों से कोई लेना देना नहीं है।

2(3)–वक्त जांच पिक अप वाहन नं. आर.जे. 21 जी.ए. 1499 में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण एंव परिवहन करना पाया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	नाम गैस कम्पनी	सीरियल नं.	गैस वजन	सिलेण्डरों का वजन
1	एच.पी.	30369-B	14.2 Kg	16.1 Kg
2	एच.पी.	849246-T	14.2 Kg	16.0 Kg
3	एच.पी.	554901	14.2 Kg	16.6 Kg
4	एच.पी.	386648-S	14.2 Kg	15.7 Kg
5	एच.पी.	546864-S	14.2 Kg	15.7 Kg
6	एच.पी.	406495-E	14.2 Kg	15.7 Kg
7	एच.पी.	848893-T	14.2 Kg	16.0 Kg
8	एच.पी.	462401-E	14.2 Kg	15.8 Kg
9	एच.पी.	506761-R	14.2 Kg	15.5 Kg
10	एच.पी.	707193-E	14.2 Kg	15.8 Kg
11	एच.पी.	405705-E	14.2 Kg	15.8 Kg
12	एच.पी.	36825-T	14.2 Kg	16.1 Kg
13	एच.पी.	344915-S	14.2 Kg	15.8 Kg
14	कम्पनी का नाम नहीं (लोकल)	नम्बर अंकन नहीं	14.2 Kg	-
15	एच.पी.	441879-E	14.2 Kg	16 Kg
16	एच.पी.	73563-T	14.2 Kg	16.6 Kg
17	एच.पी.	204140-S	14.2 Kg	15.8 Kg
18	एच.पी.	126969-S	14.2 Kg	16.2 Kg
19	एच.पी.	497255-S	14.2 Kg	15.5 Kg
20	एच.पी.	769980-S	14.2 Kg	15.7 Kg
21	एच.पी.	716856-T	14.2 Kg	15.7 Kg
22	एच.पी.	72671-T	14.2 Kg	15.7 Kg
23	एच.पी.	428381-E	14.2 Kg	15.9 Kg
24	एच.पी.	714655-E	14.2 Kg	15.5 Kg
25	एच.पी.	106525-T	14.2 Kg	15.6 Kg
26	एच.पी.	28333-E	14.2 Kg	15.9 Kg
27	एच.पी.	506596-S	14.2 Kg	15.7 Kg
28	एच.पी.	334284-T	14.2 Kg	15.8 Kg

Scanned by CamScanner

29	एच.पी.	118794-T	14.2 Kg	15.8 Kg
30	एच.पी.	448594-E	14.2 Kg	15.9 Kg

2(4)–इस प्रकार पिक अप वाहन नं. आर.जे. 21 जी.ए. 1499 में अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर परिवहन करना, अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त करना एंव कालाबाजारी करने हेतु ले जाना, लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर– 2000 के खण्ड 3 (1) (b) (c), खण्ड 4 (1) (b) (c), 2 खण्ड, 6, खण्ड 7 (1)(a) की स्पष्ट अवेहलना है जो कि, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डणीय अपराध है। अतः मौके पर पैरा नं. 5 में अंकित गैस सिलेण्डरों को मय गैस वास्ते सबूत जब्त सरकार किया जाकर मैसर्स नागौर गैस सर्विस, नागौर के प्रतिनिधि धर्मेन्द्र चौधरी की सुपुर्दगी में दिये गये। एक पिक अप रजिस्ट्रेशन नं. आर.जे. 21 जी.ए. 1499 निर्माण वर्ष 2006 रंग सफेद को जब्त कर वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना कोतवाली नागौर की सुपुर्दगी में दिये जाने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या– 5 में दर्ज सीज सुदा घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों को मय गैस, एंव एक पिक अप नं. आर.जे. 21 जी.ए. 1499 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए, में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3– वकील अप्रार्थी श्री ठाकुर प्रसाद राठी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में अप्रार्थी चांद मोहम्मद वाहन मालिक ने कभी भी वाहन में बिना लाईसेंस या परमिट वाली आवश्यक वस्तु परिवहन नहीं करने की हिदायत ड्राईवर को दे रखी थी। वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.ए. 1499 जिसका स्वामी अप्रार्थी चांद मोहम्मद है। उक्त वाहन में गैस सिलेण्डर डालकर लाने की जानकारी अप्रार्थी चांद मोहम्मद नहीं रही और न ही अप्रार्थी चांद मोहम्मद से स्वीकृति इस बाबत ली गई और न ही अप्रार्थी चांद मोहम्मद ने अपने वाहन में गैस सिलेण्डर डालकर परिवहन करने की इजाजत दी थी। अप्रार्थी चांद मोहम्मद की बिना जानकारी व स्वीकृति में अप्रार्थी चांद मोहम्मद के वाहन में ड्राईवर ने स्वंय के लोभ के लिए अप्रार्थी चांद मोहम्मद को बिना बताये किराया राशि हडप करने की नियत से अप्रार्थी चांद मोहम्मद के वाहन में गैस सिलेण्डर परिवहन किया व अंधेरे में रखा है। ऐसी दशा अप्रार्थी चांद मोहम्मद बेकसूर है तथा वाहन जब्त नहीं किया जाने की इस्तदुआ करता हूँ। ड्राईवर ने अप्रार्थी चांद मोहम्मद के वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.ए. 1499 में गैस सिलेण्डर का परिवहन अप्रार्थी चांद मोहम्मद की स्वीकृति व सहमति व जानकारी के अभाव में किया है जो कृत्य ड्राईवर ने किया है वह भी उसने स्वंय के लाभ के लिए किया है। वाहन का दुरूपयोग अप्रार्थी चांद मोहम्मद की जानकारी व स्वीकृति के बिना किया गया है। हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही यथा जब्ती आदि की कार्यवाही श्री कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक नागौर द्वारा कि गई, परन्तु उक्त मुख्य गवाह को भी साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है, जिससे भी यह प्रकरण खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए कार्यवाही हाजा में अप्रार्थी चांद मोहम्मद के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने एव वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.ए. 1499 को जब्त नहीं किया जाने का निवेदन किया।

4– वकील अप्रार्थी श्री धर्माराम खुड़खुड़िया ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी निम्बाराम पुत्र रेवन्तराम जाति माली निवासी खींवसर की ओर से कि यह गलत है कि दिनांक 18.02.2009 को अप्रार्थी निम्बाराम नागौर आया हो व वापस खींवसर वाहन नम्बर आर.जे. 21 जी.ए. 1499 में बैठकर गया हो। अप्रार्थी चांद मोहम्मद व बशीर मोहम्मद दोनो भाई अप्रार्थी निम्बाराम से पिछले कई वर्षो से अदावती रखते है व अप्रार्थी निम्बाराम भी चांद मोहम्मद व बशीर मोहम्मद से अदावती के कारण पिछले कई वर्षो से मेल मिलाप व बोलचाल नहीं है इसलिए आपसी अदावती के कारण बशीर मोहम्मद ने अप्रार्थी निम्बाराम को झुठा फसाने हेतु सिलेण्डरों का मालिक निम्बाराम को बताया है। जबकि अप्रार्थी निम्बाराम के पास न ही कोई गैस एजेन्सी है न ही अप्रार्थी निम्बाराम इस प्रकार का अवैध धंधा ही करता है न ही अप्रार्थी निम्बाराम कभी गैस सिलेण्डरो की सप्लाई ही करता है। अप्रार्थी निम्बाराम दिनांक 17.02.2009 को अपने लिए ट्यूबवेल मुवे पर लेने के लिए निम्बाराम पुत्र भोमाराम जाट निवासी खोडवा के साथ ओसिया में गया था व वापिस दिनांक 19.02.20009 को

Scanned by CamScanner

खीवंसर आया था, इसलिए अप्रार्थी निम्बाराम को प्रार्थना पत्र में दर्ज तमाम तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है अप्रार्थी निम्बाराम को अप्रार्थी चांद मोहम्मद व बशीर मोहम्मद जो सगे भाई है अपनी अदावतीवश झुठा नाम लेकर फसाने की कोशिश की है इसलिए अप्रार्थी निम्बाराम के खिलाफ उक्त कार्यवाही निरस्त की जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी निम्बाराम न तो दिनांक 18.02.2009 को नागौर आया एंव न ही वाहन नं. पिकअप आर.जे. 19 जी.ए. 1499 में यात्रा की है न ही कभी कालाबाजारी की है। अप्रार्थी चांद मोहम्मद व बशीर मोहम्मद दोनो भाई आपसी रंजिश से अप्रार्थी निम्बाराम को झुठा फसाने हेतु अप्रार्थी निम्बाराम का नाम लिया है जबकि वास्तविक बात तो यह है कि इस सम्पूर्ण घटना की जानकारी अप्रार्थी निम्बाराम को नहीं थी, अप्रार्थी निम्बाराम के पास नोटिस आने के बाद व अपने वकील से सम्पर्क करने के बाद उक्त कार्यवाही का पता चला कि चांद मोहम्मद व बशीर मोहम्मद ने अप्रार्थी निम्बाराम को झुठा फसाने हेतु सिलेण्डरो का मालिक अप्रार्थी निम्बाराम को बता दिया था। इस प्रकार अप्रार्थी निम्बाराम ने धारा 3/7 के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया इसलिए अप्रार्थी निम्बाराम के खिलाफ कार्यवाही निरस्त करने के आदेश दिये जाना न्यायोचित है। हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही यथा जब्ती आदि की कार्यवाही श्री कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक नागौर द्वारा कि गई, परन्तु उक्त मुख्य गवाह को भी साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है, जिससे भी यह प्रकरण खारिज किये जाने योग्य होने होने का कथन करते हुए अप्रार्थी निम्बाराम के विरूद्ध कार्यवाही हाजा ड्रोप करने का निवेदन किया।

5– वकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मौके चिमरानी फांटा राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 65 पर मुखबिर की इतिला पर नाकाबन्दी कर माफिक इतिला एक पिकअप वाहन रंग सफेद नं. आर.जे. 21 जी.ए. 1499 को रूकवाया और वाहक की तलाशी में उपरोक्तानुसार पैरा संख्या 2(3) में वर्णित 30 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिस पर अप्रार्थी संख्या–2 वाहन चालक बशीर मोहम्मद से वाहन के कागज मांगे गये जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त वाहन खरीददार के नाम चादं मोहम्मद (अप्रार्थी संख्या–1) अंकित होना पाया गया। वाहन चालक अप्रार्थी संख्या–2 बशीर मोहम्मद से उक्त 30 घरेलू गैस सिलेण्डर परिवहन के लाईसेन्स/परमिट बाबत पूछा गया, परन्तु उसके पास कोई लाईसेन्स/परमिट नहीं होना पाया गया। वाहन चालक अप्रार्थी संख्या–2 बशीर मोहम्मद ने पूछताछ में बताया कि वह किराये से इन सिलेण्डरों को ले जा रहा है तथा उन सिलेण्डरों का मालिक अप्रार्थी संख्या–3 निम्बाराम होना बताया। जिस पर प्रार्थी द्वारा जरिये फर्द मौका रिपोर्ट एवं जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अनुसार रूबरू गवाह आदि के उक्त 30 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त श्री धमेन्द्र नागौर गैस सर्विस को सपुर्द किये गये तथा उक्त पिकअप वाहन रंग सफेद नं. आर.जे. 21 जी.ए. 1499 को जब्त कर पुलिस थाना कोतवाली नागौर को सुपुर्द की गई। प्रकरण में उक्त जब्तशुदा 30 गैस सिलेण्डर पर किसी प्रकार का अपना कोई क्लेम नहीं किया है। वकील अप्रार्थीगण ने यह कथन अवश्य किया है कि हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही यथा जब्ती आदि की कार्यवाही श्री कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक नागौर द्वारा कि गई, परन्तु उक्त मुख्य गवाह को भी साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है, इसलिए इस प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थीगण ने ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे की प्रार्थी द्वारा की गई उक्तानसुार कार्यवाही को पूर्णतया सन्देहास्पद माना जा सके। इसलिए प्रार्थी द्वारा जो कार्यवाही की गई है उस पर सन्देह किये जाने का कोई ठोस कारण नहीं है।

6–अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं इस निर्णय के पैरा संख्या 2(3) में वर्णित सभी 30 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय गैस के समपहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त सभी 30 गैस सिलेण्डर मय को नियमानुसार कीमतन निस्तारण कर, प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराने के आदेश जिला रसद अधिकारी नागौर को दिये जाते है। उक्त निस्तारण पर प्राप्त राशि राजकीय घोषित की जाती है। प्रकरण में जब्तशुदा पिकअप वाहन रंग सफेद नं. आर.जे. 21 जी.ए. 1499 को मुक्त किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 16:54:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: